माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर कैम्प उज्जैन

प्रकरण कमांक /2013–14 निगरानी R-2488-I/14

1– हरिसिंह पिता श्री निर्भयसिंह,
2– कालुसिंह पिता श्री हरिसिंह
3– दुलेसिंह पिता श्री हरिसिंह
धंधा–कृषि, जाति सोंधिया,
निवासीगण–ग्राम कछालिया, तहसील महिदपुर
जिला उज्जैन म.प्र. –– निगरानीकर्तागण

–– विरूद्ध ––

1– उमरावसिंह पिता श्री मांगीलाल,
2– कालु पुरी पिता श्री मोतीपुरी,
जाति–गुसाई, धंधा–कृषि, निवासी–ग्राम कछालिया,
तहसील महिदपुर जिला उज्जैन भ.प्र.
–––– प्रत्यर्थी

अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार महोदय टप्पा झार्डा, तहसील महिदपुर जिला उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 01/अ–13/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 29/05/2014 से दुखित व क्षुब्ध होकर निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2488-एक/2014 [हरसिंह/उमरावसिंह] जिला उज्जैन

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-7-18	उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2- आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील महिदपुर जिला उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 1/2013-14/अ-13 में पारित अंतरिम आदेश दि. 29-5-2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 3- आवेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण न कर राजस्व निरीक्षक से स्थल निरीक्षण करवाकर उसके आधार पर अंतरिम रूप से रास्ता दिये जाने का आदेश दिया है । अनावेदकपक्ष द्वारा चाहा गया रास्ता नवीन मार्ग है जबकि अनावेदक को अपनी भूमि पर जाने के लिये मार्ग उपलब्ध है, केवल गांव की पक्की सड़क बन जाने से अनावेदकगण द्वारा उक्त रास्ता चाहा गया था जिसे देने में तहसील न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है इसलिये तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । 4- अनावेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यही कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिवत होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये । 5- उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा स्थल निरीक्षण के बाद अंतरिम रूप से रास्ता दिया गया है । अत: प्रकरण में इस स्तर पर हस्तक्षेप का आधार इस निगरानी में नहीं है, इसलिये तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है । 6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अतिरिक्त तहसीलदार तहसील महिदपुर जिला उज्जैन द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 29-5-2014 स्थिर रखते हुये तहसील न्यायालय को प्रकरण का दो माह में अंतिम निराकरण करने के लिये प्रत्यावर्तित किया जाता है । अध्यक्ष	